

Original Article

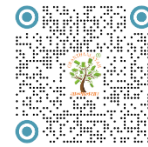
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION (RTE) ACT IN SECONDARY SCHOOLS: AN EMPIRICAL STUDY OF GWALIOR DIVISION

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन: ग्वालियर संभाग का एक अनुभवजन्य अध्ययन

Mamta Kailashia ^{1*}, Dr. Alka Gupta ²

¹ Research Scholar, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India

² Associate Professor, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh, India



ABSTRACT

English: This study provides an empirical assessment of the implementation status of the Right to Education (RTE) Act in secondary schools, specifically within the Gwalior division. The RTE Act is a significant policy initiative in India aimed at ensuring the universalization of education and educational equity by providing free and compulsory education to children aged 6 to 14 years. While the implementation of this Act has been widely observed at the primary level, there is a lack of sufficient research regarding its effectiveness and compliance status at the secondary level. Primary data for this study were collected from selected government and private secondary schools in the Gwalior division using questionnaires and interviews. Descriptive and inferential statistical techniques (such as mean, t-test, and ANOVA) were employed to analyze the data. The findings indicate that several challenges—including infrastructure, teacher availability, resource distribution, and administrative monitoring—persist in the implementation of the RTE Act. Additionally, significant disparities in implementation levels were observed between government and private schools. The study concludes that effective implementation of the RTE Act requires policy-level reforms, equitable distribution of resources, and a regular monitoring system. This research offers valuable insights for policymakers, educational administrators, and researchers. Right to Education (RTE) Act, Secondary Education, Implementation Assessment, Educational Equity, Gwalior Division.

Hindi: यह अध्ययन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का अनुभवजन्य मूल्यांकन करता है, विशेष रूप से ग्वालियर संभाग के संदर्भ में। RTE अधिनियम भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण और शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यद्यपि इस अधिनियम का क्रियान्वयन प्राथमिक स्तर पर अपेक्षाकृत व्यापक रूप से देखा गया है, परंतु माध्यमिक स्तर पर इसकी प्रभावशीलता एवं अनुपालन की स्थिति पर पर्याप्त शोध उपलब्ध नहीं है। इस अध्ययन में ग्वालियर संभाग के चयनित सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों से प्राथमिक डेटा प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधियों के माध्यम से एकत्र किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक सांख्यिकीय तकनीकों (जैसे औसत, *t*-परीक्षण एवं ANOVA) का उपयोग किया गया है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि RTE अधिनियम के क्रियान्वयन में अवसंरचना, शिक्षक उपलब्धता, संसाधन वितरण एवं प्रशासनिक निगरानी जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। साथ ही सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बीच क्रियान्वयन स्तर में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया अध्ययन निष्कर्षतः यह संकेत देता है कि RTE अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति-

*Corresponding Author:

Email address: Mamta Kailashia (Mamta.Kailashiya@outlook.com)

Received: 20 May 2026; Accepted: 23 June 2026; Published 16 July 2026

DOI: [10.29121/ShodhPrabandhan.v3.i2.2026.119](https://doi.org/10.29121/ShodhPrabandhan.v3.i2.2026.119)

Page Number: 59-66

Journal Title: ShodhPrabandhan: Journal of Management Studies

Journal Abbreviation: ShodhPrabandhan J. Manag. Stud.

Online ISSN: 3049-2416, Print ISSN: 3108-1975

Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India

Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.

Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

स्तर पर सुधार, संसाधनों का समान वितरण तथा नियमित निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों एवं शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा, क्रियान्वयन मूल्यांकन, शैक्षिक समानता, ग्वालियर संभाग।

Keywords: Right to Education (RTE) Act, Secondary Education, RTE Implementation Evaluation, Educational Equity, Gwalior Division, शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट, सेकेंडरी एजुकेशन, RTE इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, एजुकेशनल इक्विटी, ग्वालियर डिवीज़न

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारभूत शक्ति होती है, जो मानव संसाधन के सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE) अधिनियम, 2009 लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में शैक्षिक समानता एवं सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक भेदभाव को समाप्त कर शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना है। यद्यपि यह अधिनियम मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित है, तथापि इसके प्रभाव माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, विशेषकर नामांकन दर, विद्यालयी ढांचा, शिक्षक उपलब्धता एवं शिक्षण गुणवत्ता के संदर्भ में।

मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग एक महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की शैक्षिक संरचनाएँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है, परंतु इनके बीच संसाधनों की उपलब्धता, शैक्षिक गुणवत्ता एवं नीति क्रियान्वयन के स्तर में स्पष्ट विविधता देखी जाती है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएँ RTE अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं।

अतः ग्वालियर संभाग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति, उसकी प्रभावशीलता एवं उससे संबंधित चुनौतियों का अनुभवजन्य अध्ययन न केवल आवश्यक है, बल्कि यह नीति-निर्माण एवं शैक्षिक सुधारों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

साहित्य समीक्षा

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता पर अनेक शोधकर्ताओं ने विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि इस अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि इसके क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

Sharma (2020) के अध्ययन के अनुसार, RTE अधिनियम के लागू होने के बाद विद्यालयों में बच्चों के नामांकन (enrollment) की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ है। किंतु इसी अध्ययन में यह भी पाया गया कि नामांकन बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण शिक्षण संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव तथा शिक्षण विधियों में नवीनता की कमी को बताया गया है।

Verma and Singh (2021) ने ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला कि संसाधनों की कमी RTE अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है। उनके अनुसार ग्रामीण विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं डिजिटल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन भी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

Kumar (2022) के अध्ययन में शिक्षक-छात्र अनुपात (Teacher-Student Ratio) की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों में यह अनुपात राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ता है और व्यक्तिगत ध्यान (individual attention) की कमी के कारण छात्रों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में अधिक गंभीर पाई गई।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद National Institute of Educational Planning and Administration (2021) की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि RTE अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रशासनिक एवं संस्थागत कमजोरियाँ प्रमुख बाधक तत्व हैं। रिपोर्ट के अनुसार नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन के बीच अंतर पाया जाता है, जिससे योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी छात्रों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

शोध अंतर

पूर्ववर्ती अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध RTE अधिनियम के प्राथमिक शिक्षा स्तर या सामान्य प्रभाव तक ही सीमित रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर इसके क्रियान्वयन का विस्तृत एवं प्रणालीगत विश्लेषण अपेक्षाकृत कम किया गया है। विशेष रूप से ग्वालियर संभाग जैसे क्षेत्रीय संदर्भ में, जहाँ शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की परिस्थितियाँ अत्यंत विविध हैं, वहाँ इस विषय पर पर्याप्त अनुभवजन्य शोध उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व शोधों में नीति-स्तर एवं विद्यालय-स्तर के बीच क्रियान्वयन की वास्तविक खाई (implementation gap) का समग्र विश्लेषण भी सीमित रहा है। अतः यह अध्ययन इस शोध अंतर को भरने का प्रयास करता है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में RTE अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन, उसकी चुनौतियों एवं प्रभावशीलता का गहन अनुभवजन्य मूल्यांकन किया गया है।

शोध उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- 1) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना।
- 2) ग्वालियर संभाग के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में आरटीई के क्रियान्वयन स्तर की तुलना करना।
- 3) आरटीई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं बाधाओं की पहचान करना।
- 4) विद्यालयों में संसाधन उपलब्धता, प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षण गुणवत्ता के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
- 5) नीति सुधार हेतु व्यावहारिक एवं साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ

H1: माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं है।

H2: ग्वालियर संभाग के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन स्तर में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है।

H3: विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों (भौतिक, मानव एवं शैक्षणिक) और आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन स्तर के बीच सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है।

H4 प्रशासनिक निगरानी एवं विद्यालय शासन-प्रशासन की गुणवत्ता आरटीई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं अनुभवजन्य प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य ग्वालियर संभाग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण करना है।

अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन का क्षेत्र ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश है। यह क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार की शैक्षिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है, जिससे यह अध्ययन आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनता है।

यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट विविधता पाई जाती है।

जनसंख्या एवं नमूना

इस अध्ययन की जनसंख्या में ग्वालियर संभाग के सभी सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य शामिल हैं।

अध्ययन हेतु नमूना को उद्देश्यपूर्ण एवं स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन विधि द्वारा चुना गया है, ताकि दोनों प्रकार के विद्यालयों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

नमूने में शामिल मुख्य इकाइयाँ—

- सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य
- निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य

इस प्रकार चयनित नमूना अध्ययन के निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय एवं सामान्यीकरण योग्य बनाता है।

डेटा संग्रह

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

1) प्रश्नावली

एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें आरटीई अधिनियम के विभिन्न आयामों जैसे—

- प्रवेश प्रक्रिया
- संसाधन उपलब्धता

- शिक्षक-छात्र अनुपात
- आधारभूत संरचना
- शिक्षण गुणवत्ता

से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए। यह प्रश्नावली शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग की गई।

2) साक्षात्कार

गहन समझ विकसित करने के लिए अर्ध-संरचित साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसमें विद्यालय प्रशासन, नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ एवं व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की गई।

इस विधि ने अध्ययन को गुणात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया।

डेटा विश्लेषण तकनीक

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से किया गया, जिससे निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बन सकें।

1) औसत एवं मानक विचलन

डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रसार को समझने के लिए औसत एवं मानक विचलन का उपयोग किया गया। इससे आरटीई क्रियान्वयन के सामान्य स्तर का आकलन किया गया।

2) टी-परीक्षण

टी-परीक्षण का उपयोग सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के बीच आरटीई क्रियान्वयन के स्तर की तुलना करने हेतु किया गया। इससे यह ज्ञात हुआ कि दोनों समूहों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं।

3) विचरण विश्लेषण

विचरण विश्लेषण तकनीक का उपयोग विभिन्न विद्यालय समूहों (जैसे शहरी एवं ग्रामीण, सरकारी एवं निजी) के बीच अंतर की जांच के लिए किया गया। यह तकनीक यह निर्धारित करती है कि क्या समूहों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है या केवल संयोगवश है।

4) सहसंबंध विश्लेषण

सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग विभिन्न चर जैसे—

- संसाधन उपलब्धता
- शिक्षक-छात्र अनुपात
- प्रशासनिक सहयोग
- क्रियान्वयन स्तर

के बीच संबंध की दिशा एवं तीव्रता को जानने के लिए किया गया। इससे यह समझने में सहायता मिली कि कौन-से कारक आरटीई क्रियान्वयन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस शोध पद्धति के माध्यम से अध्ययन को मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों से मजबूत किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं नीति-निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं।

परिणाम एवं विश्लेषण

इस अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के आधार पर किया गया है, जिससे शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। नीचे प्राप्त प्रमुख परिणामों को क्रमवार प्रस्तुत किया गया है—

क्रियान्वयन की स्थिति

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का क्रियान्वयन आंशिक रूप से प्रभावी है।

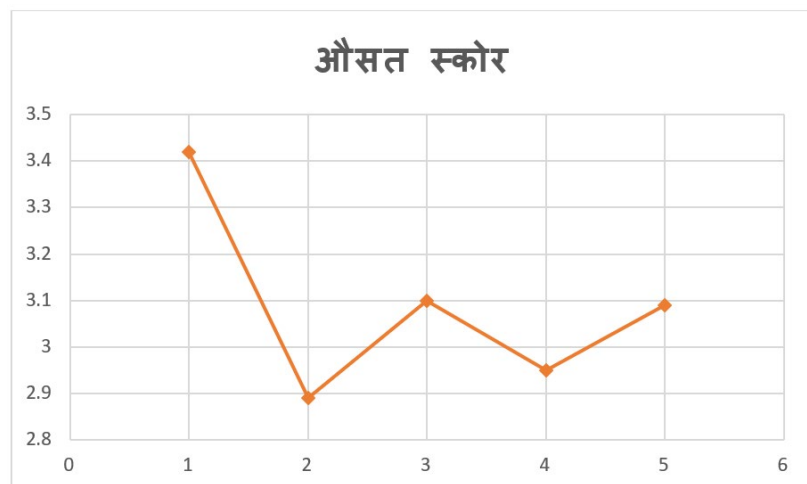
अधिकांश विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, किंतु गुणवत्ता, संसाधन एवं प्रशासनिक निगरानी के स्तर पर गंभीर अंतर पाए गए हैं।

तालिका 1

तालिका 1 आरटीई क्रियान्वयन का औसत स्तर		
संकेतक	औसत स्कोर	स्तर
प्रवेश प्रक्रिया	3.42	मध्यम
आधारभूत संरचना	2.89	कम

शिक्षक उपलब्धता	3.1	मध्यम
शैक्षिक गुणवत्ता	2.95	कम
समग्र क्रियान्वयन	3.09	आंशिक प्रभावी

इससे स्पष्ट होता है कि आरटीई का क्रियान्वयन पूर्ण प्रभावी स्तर तक नहीं पहुँच पाया है।



संसाधन उपलब्धता

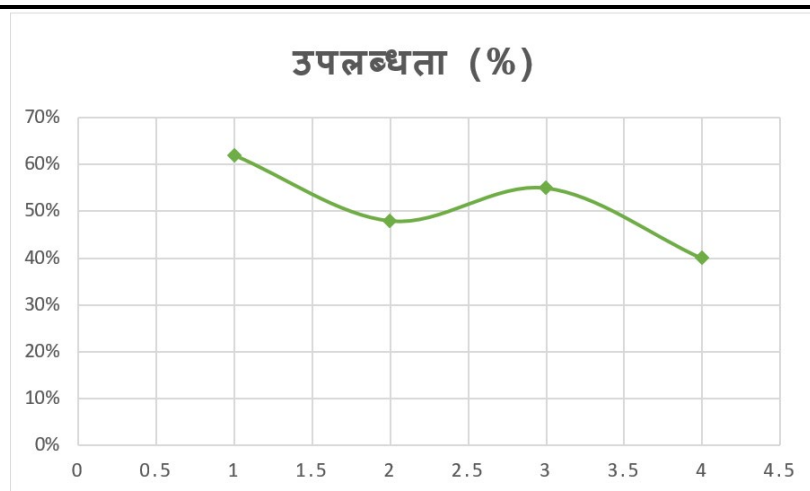
अध्ययन में पाया गया कि अनेक विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक संसाधनों की कमी है।

- कक्षाओं की संख्या अपर्याप्त है
- प्रयोगशालाओं की स्थिति कमजोर है
- पुस्तकालयों में सीमित पुस्तकें उपलब्ध हैं
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों का अभाव है

तालिका 2

तालिका 2 संसाधन उपलब्धता का स्तर		
संसाधन	उपलब्धता (%)	स्थिति
कक्षाएँ	62%	अपर्याप्त
प्रयोगशालाएँ	48%	कमजोर
पुस्तकालय	55%	सीमित
डिजिटल संसाधन	40%	अत्यंत कम

यह स्पष्ट करता है कि संसाधनों की कमी आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा है।



शिक्षक-छात्र अनुपात

अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानकों (1:30 या 1:35) के अनुरूप नहीं है।

तालिका 3

तालिका 3 शिक्षक-छात्र अनुपात तुलना			
विद्यालय प्रकार	औसत अनुपात	मानक अनुपात	स्थिति
सरकारी विद्यालय	01:48	01:30	अनुपालन नहीं
निजी विद्यालय	01:36	01:30	आंशिक अनुपालन

इससे स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अधिक गंभीर समस्या है।

सरकारी बनाम निजी विद्यालय (तुलनात्मक विश्लेषण)

दोनों प्रकार के विद्यालयों में स्पष्ट अंतर पाया गया है।

तालिका 4

तालिका 4 तुलनात्मक विश्लेषण		
संकेतक	सरकारी विद्यालय	निजी विद्यालय
संसाधन	कम	अधिक
शिक्षक उपलब्धता	कम	मध्यम
आधारभूत संरचना	कमजोर	बेहतर
आरटीई पालन	आंशिक	अपेक्षाकृत बेहतर

निष्कर्षतः निजी विद्यालयों की स्थिति सरकारी विद्यालयों की तुलना में बेहतर पाई गई।

सांख्यिकीय निष्कर्ष

टी-परीक्षण के माध्यम से यह परीक्षण किया गया कि क्या सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बीच आरटीई क्रियान्वयन में कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं।

तालिका 5

तालिका 5 टी-परीक्षण परिणाम				
समूह	औसत स्कोर	टी-मूल्य	संभाव्यता मान	निष्कर्ष
सरकारी विद्यालय	2.98	3.76	$0.000 < 0.05$	महत्वपूर्ण अंतर
निजी विद्यालय	3.41	—	—	—

परिणाम से स्पष्ट है कि 0.05 से कम संभाव्यता मान होने के कारण दोनों समूहों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

1) अवसंरचना की कमी

अनेक माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं जैसे कक्षाओं की कमी, प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तता, पुस्तकालयों की कमजोर स्थिति एवं स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया। यह स्थिति आरटीई अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आती है। साथ ही, यह भी एक सीमितता है कि अध्ययन में अवसंरचना का मूल्यांकन केवल चयनित विद्यालयों तक ही किया गया।

2) शिक्षकों की कमी

अध्ययन क्षेत्र के कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई गई, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित हुआ। इससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं व्यक्तिगत ध्यान देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह एक व्यावहारिक चुनौती होने के साथ-साथ अध्ययन की यह सीमा भी है कि शिक्षक उपलब्धता का विश्लेषण मुख्यतः उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित रहा।

3) वित्तीय संसाधनों का अभाव

विद्यालयों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आई। सीमित बजट के कारण विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सामग्री, तकनीकी उपकरण एवं आधारभूत ढांचे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। साथ ही, अध्ययन में वित्तीय पहलू का विश्लेषण केवल सामान्य स्तर पर किया गया है।

4) प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक निगरानी एवं निरीक्षण व्यवस्था अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं है। नीति के क्रियान्वयन और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर पाया गया। यह अध्ययन की एक सीमा भी है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का विस्तृत संस्थागत विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित रहा।

5) नीति क्रियान्वयन में असमानता

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बीच नीति क्रियान्वयन में स्पष्ट असमानता पाई गई। यह असमानता आरटीई अधिनियम के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को प्रभावित करती है। साथ ही यह भी एक सीमा है कि यह अध्ययन मुख्यतः ग्वालियर संभाग तक सीमित रहा, जिससे व्यापक सामान्यीकरण सीमित हो जाता है।

अध्ययन की प्रमुख सीमाएँ

यह अध्ययन केवल ग्वालियर संभाग तक सीमित है, इसलिए इसके निष्कर्ष सम्पूर्ण राज्य या देश पर पूर्णतः लागू नहीं किए जा सकते।

- नमूना आकार अपेक्षाकृत सीमित रहा, जिससे व्यापक स्तर पर सामान्यीकरण में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- अध्ययन केवल माध्यमिक विद्यालयों पर केंद्रित है, प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर संभाग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य एवं सांख्यिकीय मूल्यांकन करना था। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आरटीई अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन वृद्धि, शिक्षा तक पहुँच के विस्तार एवं समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इसका क्रियान्वयन माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अभी भी पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाया है।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षक उपलब्धता, संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रशासनिक निगरानी जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में कमी विद्यमान है। विशेष रूप से सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बीच क्रियान्वयन स्तर में स्पष्ट अंतर पाया गया, जहाँ निजी विद्यालय अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में दिखाई दिए। इससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों का असमान वितरण आरटीई के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक है।

सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यालयों के बीच क्रियान्वयन स्तर में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि नीति का समान रूप से क्रियान्वयन सभी संस्थानों में सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। संसाधन उपलब्धता और क्रियान्वयन स्तर के बीच सकारात्मक संबंध भी पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि बेहतर संसाधन व्यवस्था से आरटीई के उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी हो सकती है।

अतः समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरटीई अधिनियम की नीति अत्यंत प्रभावी एवं प्रगतिशील है, किंतु इसके वास्तविक क्रियान्वयन में अभी भी अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक एवं संसाधन संबंधी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों में संसाधनों का समान वितरण, शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण, नियमित निगरानी व्यवस्था तथा नीति-स्तर पर व्यावहारिक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों एवं शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे भविष्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाया जा सके।

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

- Agrawal, P. (2019). Right to Education in India: Challenges and Prospects. *Journal of Society and Education* (भारत में का अधिकार: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ। समाज एवं शिक्षा पत्रिका) 10(4), 21–35.
- Farsani, A. A. (2025). Legal and Ethical Implications of Artificial Intelligence: Balancing Innovation, Responsibility, and Human Rights. *ShodhSamajik: Journal of Social Studies* (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानूनी और नैतिक पहलू: इनोवेशन, ज़िम्मेदारी और मानवाधिकारों के बीच संतुलन। शोधसामाजिक: जर्नल ऑफ़ सोशल स्टडीज़) 2(2), 146–152. <https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v2.i2.2025.53>
- Government of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice. (बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। विधि और न्याय मंत्रालय)
- Jha, M., and Tripathi, D. (2022). Educational Equity and Government Policies: An Empirical Study. *Indian Journal of Social Science Review* (शैक्षिक समानता और सरकारी नीतियाँ: एक अनुभवजन्य अध्ययन। भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा) 16(1), 40–53.
- Kumar, A. (2022). Teacher-Student Ratio and Its Impact on Quality of Education. *Indian Journal of Educational Studies* (शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव। भारतीय शिक्षा अध्ययन) 18(3), 60–72.
- Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार)
- National Council of Educational Research and Training. (2021). Annual Report on the Status of Education in India. Author. (भारत में शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट। लेखक)
- National Institute of Educational Planning and Administration. (2021). School Education in India: Policy and Implementation Issues. Author. (भारत में स्कूली शिक्षा: नीति और कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे। लेखक)
- Sharma, R. (2020). Right to Education Act and Enrollment Trends: An Analytical Study. *Indian Journal of Educational Research* (शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नामांकन के रुझान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च) 15(2), 45–58.
- Singh, R. (2023). A comparative Study of Policy Implementation in Secondary Education. *Journal of Education and Society Research* (माध्यमिक शिक्षा में नीति-क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन। जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड सोसाइटी रिसर्च) 14(2), 55–68.
- Sarma, B. K., and Das, J. K. (2025). Gendered Realities and Rights: A Critical Study of Women's Awareness of Human Rights in Nalbari District Assam. *ShodhSamajik: Journal of Social Studies* (लिंग-आधारित वास्तविकताएँ और अधिकार: असम के नलबाड़ी ज़िले में महिलाओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का आलोचनात्मक अध्ययन। शोध-सामाजिक: जर्नल ऑफ़ सोशल स्टडीज़) 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v2.i2.2025.52>
- UNICEF. (2019). Education for all: Progress in India. Author. (सभी के लिए शिक्षा: भारत में प्रगति। लेखक)
- Verma, S., and Singh, P. (2021). Status of Resources and RTE Implementation in Rural Schools. *Educational Research Review* (ग्रामीण स्कूलों में संसाधनों और RTE के लागू होने की स्थिति। एजुकेशनल रिसर्च रिव्यू) 12(1), 33–47.
- World Bank. (2020). India Education Sector Report: Quality and Equity Issues. World Bank. (भारत शिक्षा क्षेत्र रिपोर्ट: गुणवत्ता और समानता से जुड़े मुद्दे। विश्व बैंक)